नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2015

भाग—एक

1 **(क) प्रारम्भिक :—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—376/81—फिन(एल0ए0)खण्ड—IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नवर्णित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कांगड़ा में तैनात थे :—

प्रधान :—

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्रीमती सुमन वर्मा	1.4.2013 से 31.3.15

कार्यकारी अधिकारी :—

क्रम संख्या	कार्यकारी अधिकारी का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री किशोरी लाल ठाकुर	1.4.2013 से 31.3.15

(ख) नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2015 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार।

क्र0 सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर ब्याज राशि का कम क्रेडिट करना	5 (क)	0.15
2	दिनाँक 31.3.15 को अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	8 (क)	188.82
3	अवधि 3/13 से पूर्व प्राप्त अनुदान राशि का व्यय न करने बारे	8 (ख)	32.44

4	गृहकर, दुकानों के किराये, कूड़ा संयत्र व मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशि की वसूली न करना	9	53.24
5	चालू वित्तीय वर्ष के देय गृह कर की राशि का देय तिथि तक भुगतान न करने के कारण सरचार्ज की राशि का आंकलन न करने से वित्तीय हानि बारे	11	3.36
6	स्थापना पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय करने के कारण राशि का अनियमित भुगतान	16	82.90
7	श्री तिलक राज, (बेलदार) को चालक के पद पर पदोन्नत करने के कारण अनियमित व्यय	17	0.40
8	विद्युत विभाग कांगड़ा को राशि का अधिक भुगतान करना	27	0.11
9	निर्माण कार्य बिलों से जलप्रभार की कटौती न करने के कारण राजस्व की हानि	29	0.96
10	निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आंबटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से दण्ड शुल्क की वसूली न करना	30	7.08
11	निर्माण कार्यों बिलो ंसे श्रमकर की कटौती न करना	31	0.64
12	पार्किंग के निर्माण पर अनुपयोगी व्यय बारे	35	37.59
13	अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को पैन्शन व उपदान निधि का अनियमित भुगतान	38	5.18
14	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	43	0.25

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "A"** पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करे व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 04/13 से 03/15 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1.4.2015 से 26.5.15 तक कांगड़ा में सम्पन्न किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्न विवरणानुसार महीनों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
1	2013–14	3/2014	9/2013
2	2014–15	3/2015	10/2014

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद काँगड़ा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना जो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल अंकेक्षण के लिए चयनित महीनों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर परिषद काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण करने का शुल्क ₹35000/– बनता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9 दिनाँक 26.5.2015 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाये गए अभिलेख अनुसार, अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद के लेखाओं (अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय, अनुदान राशियों, पैंशन एवं उपदान तथा जी0पी0एफ0) का रख–रखाव सम्मिलित रूप में एक ही रोकड़ वही में किया गया था। जिसकी सम्मिलित/एकीकृत वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	आरम्भिक शेष	पावतियाँ	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	40168232	35962172	1205104	77335508	42059419	35286089
2014–15	35276089	109513625	5486300	150276014	102486772	47789242

बैंक समाधान विवरणिका

Closing Balance as per Cash Book	47789242
Add Cheques issued, but not present for payment up to 31.03.2015	(+)11995
Less Cash-in-hand (Income of 31.03.2015 deposited on 2.4.15)	(–)63060
Closing Balance as per Pass Book (Annexure-"B"	47738177

Detail of un-cashed cheques-1400/- SJSRY, 8839/- MC Fund, 1756/- SFC= 11995

(क) निदेशक, शहरी विकास, विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)(15)-2/91-III दिनाँक 02/2013 के द्वारा सभी नगर परिषदों को उनके बैंक खातों को राज्य सरकार के सहकारी बैंक में रखने के लिए निर्देश जारी किये गए थे, परन्तु नगर परिषद काँगड़ा द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट "B" से स्पष्ट होता है परिषद द्वारा अधिकतम राशि को सहकारी बैंकों में न रखकर राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा गया था। उपरोक्त दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में सरकारी निर्देशों की अनुपालना करते हुए परिषद निधि को सहकारी बैंकों में रखना सुनिश्चित किया जाए।

5 निवेश :–

परिशिष्ट बी (ii) के अनुसार दिनांक 31.03.15 को निवेश की स्थिति निम्न प्रकार से रही :–

क्र0 सं0	एफ0डी0आर0 बैंक का नाम	दिनांक	निवेशित राशि	दर	अवधि	परिपक्वता दिनांक
1	500541392 KCCB Kgr	23.1.15	3238427	9%	1 वर्ष	23.01.16
2	65228511877 SBOP Kgr	2.3.15	494177	8.75%	3 वर्ष	2.3.18
3	50060211226 KCCB Kgr	11.12.14	32276	9%	1 वर्ष	11.12.15
4	50060211204 KCCB Kgr	11.12.14	32276	9%	1 वर्ष	11.12.15
5	20033117842 KCCB Kgr	19.10.14	49776	9%	1 वर्ष	19.10.15

(क) बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर ₹15356/– का कम ब्याज क्रेडिट करनाः–

सावधि जमा योजना से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधि जमा राशियों पर कम ब्याज दिया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Date	FDR No./Bank	Amount	Rate	Period	Required Interest	Interest Received	Less Interest
1.3.09	65057282735 SBOP Kgr	301482	8.75%	3 Years	89390	74034	15356

अतः देय ब्याज से कम दिये गए ब्याज की सम्बन्धित बैंक से वसूली हेतु समुचित पग उठाये जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 रोकड़ वही का रख रखाव उचित ढ़ंग से न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(1) रोंकड़ वही की प्रत्येक प्रविष्टि को सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के नियम 19 के अनुसार रोकड़ वही की प्रत्येक प्रविष्टि की जांच कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित थी।

(2) रोकड़ वही में जी–8 रसीदों की प्रविष्टि क्रमवार न करके आगे पीछे की गई थी जिससे चयनित महीनों में प्राप्त आय की रोकड़ वही में प्रविष्टि की जॉच में असुविधा का सामना करना पड़ा। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ वही में जी–8 रसीदों की प्रविष्टि क्रमवार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक रसीद की प्रविष्टि रोकड़ वही में सुनिश्चित की जा सके।

(3) नगर परिषद द्वारा अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय, अनुदान राशियों, पैन्शन एवं उपदान तथा जी0पी0एफ0 का रख रखाव सम्मिलित रूप में एक ही रोकड़ वही में किया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त शीर्षको के लिए अलग–अलग रोकड़ वहियों का प्रयोग किया जाए ताकि उपरोक्त मदों की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके।

7 बैंक खातों के रख–रखाव के बारे में:–

रोकड़ वही एवं बैंक खातों के मिलान में यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.15 तक विभिन्न बैंकों में पैन्शन एवं उपदान तथा जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 खातों के अतिरिक्त कुल 17 खाते खोले गये, जिनमें इस तथ्य का अभाव था कि विभिन्न शीर्षकों (अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय, अनुदान राशियों, पैन्शन एवं उपदान तथा जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0) की प्राप्त आय कौन से खाते में जमा की गई थी तथा विभिन्न शीर्षकों का व्यय कौन से खाते में से किया गया था, जिससे उपरोक्त विभिन्न शीर्षकों की अलग–2 वित्तीय स्थिति का सही लेखन नहीं हो पाता। अतः सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान खातों को बन्द/इकटठा करके उपरोक्त शीर्षकों के लिए अलग–2 खाते खुलवाये जाये तथा रोकड़ बही से उक्त शीर्षकों की राशि की सही गणना उपरान्त सम्बन्धित खातों में जमा की जाये तथा भविष्य में सम्बन्धित शीर्षक की आय–व्यय का लेन–देन सम्बन्धित खाते में से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। ताकि अलग–2 मदों की सही वित्तीय स्थिति का प्रारूपण किया जा सके।

8 वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानः–

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद को विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राशियों व उनके किए गए व्यय का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "C व D" में दर्शाया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(क) दिनाँक 31.3.2015 को अनुदान राशि ₹188.82 लाख व्यय हेतु शेषः—

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों व उनसे व्यय की गई राशि की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि में से दिनाँक 31.3.15 को राशि ₹18882347/— अनुपयोग पड़ी थी जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार यह राशियाँ एक अथवा दो वर्षों के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित थी। अतः इन अुनपयोग अनुदान राशियों को समयबद्ध उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपयोगी अनुदान राशियों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात विहीत उद्देश्यों पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अवधि 3/13 से पूर्व प्राप्त अनुदान राशि बारेः—

अंकेक्षण अवधि 01.04.2013 से पूर्व प्राप्त, अनुदानों में से अंकेक्षण अवधि में व्यय किए गए अनुदानो ंव इनमें से अनुपयोग राशियों का विवरण परिशिष्ट C पर संलग्न है। इन लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 01.04.2013 से पूर्व प्राप्त अनुदान राशियो ंमें से ₹3244680/— की अनुदान राशियाँ अंकेक्षण अवधि तक अनुपयोग पड़ी थी जबकि इनमें से राशियाँ ₹504103/— वर्ष 2007 से पहले प्राप्त हुई थी। इन राशियों का इतने लम्बे समय तक उपयोग न करना एक अत्यन्त ही गम्भीर मामला है क्योंकि जहाँ एक ओर लम्बे समय तक फंडस को अनुपयोगी रखा गया वहीं सम्बन्धित पक्षों को इससे प्राप्त होने वाले लाभों से भी वंचित रखा गया है। अतः इन राशियो ंके इतने लम्बे समय से उपयोग न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इन अनुपयोग अनुदान राशियो ंको या तो सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को वापिस लौटाया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए इन अनुदान उन्हीं उद्देश्यों, जिन हेतु इन्हें प्राप्त किया गया था, पर यथाशीघ्र उपयोग किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) उपयोगिता प्रमाण पत्र बारेः—

अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदान राशियो ंसे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। यह मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनाँक

11.5.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

9 गृहकर, दुकानों के किराये, कूड़ा संयत्र व मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशि ₹53.24 लाख की वसूली न करनाः–

दिनांक 31.3.2015 को ₹5323673/–की राशि गृहकर, दुकानों के किराये, कूड़ा संयत्र एवं मोबाईल टावर शुल्क के रूप में वसूली जानी शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	शीर्ष	दिनांक 31.3.15 को बकाया राशि	टिप्पणी
1	गृहकर	3369470	परिशिष्ट "F" में वर्णित
2	दुकानों एवं भवनों का किराया	1295207	परिशिष्ट "F" में वर्णित
3	कूड़ा सयंत्र प्रबन्धन शुल्क	508276	परिशिष्ट "G" में वर्णित
4	मोबाईल टावर शुल्क	150720	परिशिष्ट "H" में वर्णित
	कुल	**5323673**	

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(ए)–1/87–9237–9284 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार गृहकर एवं अन्य करों की 100 प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिए गए थे, तथा विफलता पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना था, उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त पत्र के दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियमों की पालना नहीं की गई थी अन्यथा दिनांक 31.3.15 को इतनी अधिक राशि वसूली योग्य शेष नहीं रहती। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि बकाया राशियों की अविलम्ब वसूली हेतु समुचित पग उठाये जाये ताकि नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित न हो।

10 गृहकर की नई निर्धारण सूची तैयार न करनाः–

गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2006 के उपरान्त गृहकर की असैसमेनट नहीं की गई थी, अर्थात नगर परिषद द्वारा गृहकर दाताओं से वर्ष 2006–07 के वार्षिक किराये के आधार पर ही गृहकर अधिरोपित करके वसूला गया था। यह मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनाँक 05.05.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः वर्ष 2006–07 से वर्ष 2014–15 तक गृहकर की नई निर्धारण सूची तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के परन्तुक के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये, तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 चालू वित्तीय वर्ष के देय गृहकर की राशि का देय तिथि तक भुगतान न करने के कारण सरचार्ज की राशि का आंकलन न करने से राशि 3.37 लाख की वित्तीय हानि बारेः–

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0डी0–एच (बी)(15)–4/99 दिनाँक 26.06.2003 के अनुसार चालू वर्ष के गृहकर का बिल जारी करने के उपरान्त 10 दिनों के अन्दर गृहकर जमा करवाने पर कर की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जानी अपेक्षित थी परन्तु यदि 10 दिनों के भीतर कर की राशि जमा नहीं करवाई जाती तो बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। अभिलेख की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा यद्यपि निर्धारित समय पर कर चुकाने पर 20 प्रतिशत की छूट दी थी परन्तु निर्धारित समय पर कर न चुकाने पर, बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज नहीं लगाया था, जिस कारण नगर परिषद निधि को दिनाँक 31.03.2015 तक राशि ₹336947/– की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। अतः सरचार्ज न लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये, अन्यथा समय पर गृहकर न चुकाने वाले गृहकर दाताओं की बकाया राशि पर नियमानुसार सरचार्ज निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 दुकानदारों/प्लाट धारकों/कमरों एवं भवन धारकों तथा खोखा धारकों के साथ अनुबन्ध न करने बारेः–

विभिन्न दुकानों, प्लाटों, कमरों एवं भवनों तथा खोखों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दुकानों, प्लाटों, कमरों एवं भवनों के अधिकतर आबटियों के साथ परिषद द्वारा किराया अनुबन्ध नहीं किया गया था, जिनका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–I** पर दिया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये नगर परिषद प्रशासन को यह सुझाव दिया जाता है कि परिशिष्ट में वर्णित विभिन्न किरायेदारों के साथ यथा शीघ्र किराया अनुबन्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13 बिजली शुल्क बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 दिनाँक 24.8.2000 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को भुगतान किए जाने का प्रावधान था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनाँक 05.05.2015 द्वारा इससे सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलबध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 रैन बसेरा के ठेकेदार से ₹10000/– की वसूली न करनाः–

नगर परिषद द्वारा दिनाँक 22.03.2013 को औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए रैन बसेरा भवन को वर्ष 2013–14 के लिए श्री रविन्दर कुमार को राशि ₹289000/– में ठेके पर दिया। अनुबन्ध पत्र की शर्त 3 व 4 के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ठेके की राशि 12 बराबर किश्तों में हर माह की 10 तारीख से पहले नगर परिषद कार्यालय में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी, अन्यथा 10 तारीख के बाद किश्त जमा करवाने पर ₹500/– प्रतिदिन की दर से देरी शुल्क वसूल किया जाना आपेक्षित था। अभिलेख की जाँच पर यह पाया गया कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कुछ एक प्रकरणों में किश्तों की राशि देरी से जमा करवाई गई थी,

लेकिन परिषद द्वारा देरी शुल्क की वसूली नहीं की गई थी, जिस कारण नगर परिषद निधि को ₹10000/– की वित्तीय हानि उठानी पड़ी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

जिस तिथि को किश्त जमा करवाई गई	रसीद संख्या	देरी (दिनों में)	वसूली योग्य राशि
13.5.2013	04/339	3	1500
12.8.2013	36/351	2	1000
11.9.2013	06/355	1	500
14.10.20113	41/358	4	2000
13.11.2013	08/363	3	1500
12.12.2013	11/372	2	1000
15.2.2014	50/388	5	2500
			10000

अतः देरी से ठेका राशि को जमा करने के कारण देय शुल्क न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा दिनाँक 29.03. 2014 को औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए रैन बसेरा भवन को श्री रविन्द्र कुमार को वर्ष 2014–15 के लिए ₹321000/– में वार्षिक ठेके पर दिया। अनुबन्ध पत्र की शर्त 3 व 4 के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ठेके की राशि 12 बराबर किश्तों में हर माह की 10 तारीख से पहले नगर परिषद कार्यालय में जमा करवाई जानी आपेक्षित थी, अन्यथा 10 तारीख के बाद किश्त जमा करवाने पर ₹500/– प्रतिदिन की दर से देरी शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित था, तथा अनुबन्ध पत्र की शर्त नं0 15 के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार यदि रैन बसेरा भवन को ठेका अवधि के दौरान छोड़ना चाहे तो एसे एक महीने का अग्रिम नोटिस प्रथम पक्ष को देकर फर्नीचर, पखें व अन्य सामान ठीक हालत में नगर परिषद को वापिस किया जाना अपेक्षित था। अभिलेख की जाँच पर यह पाया गया कि ठेकेदार द्वारा अप्रैल माह की किश्त ₹26750/– का भुगतान दिनाँक 31.03.2014 को रसीद संख्या 24/405 के द्वारा किया गया, तदोपरान्त अनुबन्ध पत्र की शर्त नं0 15 के अनुसार ठेकेदार द्वारा रैन बसेरा भवन को छोड़ने हेतु दिनाँक 19.05.2014 को एक महीने का अग्रिम नोटिस दिया गया। दिनाँक 19.6.2014 को एक महीने की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त नगर परिषद द्वारा न तो शेष किश्तों की वसूली की

गई और न ही रैन बसेरा भवन को कब्जे में लेकर पुनः ठेके पर दिया गया तथा न ही स्वयं रैहन बसेरा का संचालन किया गया। यह मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4 दिनाँक 05.05. 2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद काँगड़ा के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः ठेके की बकाया राशि की वसूली न करने एवम लगभग एक वर्ष तक रैहन बसेरे का संचालन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

15 स्थापनाः–

नगर परिषद में नियुक्त कर्मचारियों व दैनिक भोगियों का विवरण परिशिष्ट "J" पर दिया गया है तथा स्थापना पर वेतन तथा भत्तों में व्यय हुई राशियों तथा इनके विरूद्ध बजट प्रावधान परिशिष्ट "K" पर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

बजट प्रावधान से राशि ₹5.35 लाख का अधिक व्ययः–

उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार कुछ एक प्रकरणों में स्थापना व्यय बजट प्रावधान से अधिक पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	**शीर्ष**	**बजट में प्रावधान**	**व्यय की गई राशि**	**अन्तर**
2013–14	Public Health	320992	328155	7163
2014–15	Municipal Work	4493882	5021494	527612
			कुल	**534775**

अतः बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अधिक व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाकर नियमित किया जाये व भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही व्यय किया जाये।

16 स्थापना पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय करने के कारण राशि ₹82.90 लाख का अनियमित भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0एल0वी0–एच (ए)(7)–1/87–9237–9284 दिनाँक 20.6.2001 के अनुसार नगर परिषद का स्थापना व्यय कुल व्यय के 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। जाँच में पाया गया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा अवधि 01.04.

2013 से 31.03.2015 तक स्थापना पर राशि ₹8289952/– का अनियमित व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	नगर परिषद का कुल व्यय	कुल व्यय का 1/3 भाग	संस्थापना पर किया गया व्यय	अधिक व्यय
2013–14	18739419	6246473	9485422	3238949
2014–15	24051772	8017257	13068260	5051003
			कुल	**8289952**

अतः उपरोक्त पत्र की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से व्यय की गई राशि ₹8289952 को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाये।

17 श्री तिलक राज, (बेलदार) को चालक के पद पर पदोन्नत करने के कारण ₹0.40 लाख का अनियमित व्ययः–

नगर परिषद द्वारा श्री तिलक राज को दिनाँक 01.08.2002 से बेलदार के स्वीकृत पद के विरूद्ध दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे परिषद के प्रस्ताव संख्या 1115 दिनाँक 27.10.2005 द्वारा दिनाँक 01.01.2006 से चालक के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में पदोन्नत कर दिया। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट "J") अनुसार नगर परिषद में चालक का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है तथा न ही श्री तिलक राज की पदोन्नति के सम्बन्ध में निदेशक शहरी विकास विभाग शिमला से स्वीकृति प्राप्त की गई थी। चालक के गैर स्वीकृत पद के विरूद्ध पदोन्नति करने के कारण दिनाँक 01.04.2013 से 31.3.2015 तक श्री तिलक राज बेलदार को ₹40150/– की अधिक दिहाड़ी दी गई, जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "L" पर दिया गया है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013 में भी आपत्ति उठाई गई है। लेकिन इस प्रकरण में परिषद द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः स्वीकृत पद के बिना की गई पदोन्नति को सक्षम अधिकारी से पद का सृजन करवाकर नियमित किया जाये, अन्यथा ₹40150/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

18 बिना पदो की स्वीकृति के दैनिक भोगियों को नियुक्त करनाः—

उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट "J") के अनुसार नगर परिषद में कुछ एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अस्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे है। अतः पदों की स्वीकृति के बिना देनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति का औचित्य स्पष्ट किया जाये, अन्यथा इनकी नियुक्ति को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाया जाये। पदों की स्वीकृति के बिना कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो ंका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति की दिनाँक
1	श्री करतार चन्द	चालक	24.11.1998
2	श्री तिलक राज	चालक	01.08.2002

19 सेवा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण में पाई गई अनियमितताऐंः—

नगर परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित आवश्यक सूचनाएं व जानकारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टि नहीं की गई थी जिसकी अनुपस्थिति में संस्था के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अनुचित लाभ प्राप्त होने या देय सेवा/सेवा निवृति लाभों की प्राप्ति में विलम्ब होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः सेवा पुस्तिकाओं में पाई गई निम्न त्रुटियों बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(1) जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 खाता संख्या को सेवा पुस्तिका में न दर्ज करना।

(2) जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 की राशि की प्राप्ति हेतु किसी पारिवारिक सदस्य/सदस्यों को नामांकित न करना।

(3) परिवार के आश्रित सदस्यों की सूची न लगाना।

(4) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु विकल्प बारे इन्द्राज न होना।

(5) एल0टी0सी0 हेतु स्थाई पता प्रविष्टि न होना।

(6) अवकाश स्वीकृति आदेशों की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि न करना तथा अवकाश खातों का नियमित रूप से नवीनीकरण न करना।

20 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में सेवा का सत्यापन (Service Verification) नियमित तौर पर न करनाः–

कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि कर्मचारियों की वार्षिक सेवा का सत्यापन नियमित तौर से नहीं किया गया था। अतः निम्नलिखित व अन्य समरूप प्रकरणों में सेवाओं का सत्यापन करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में सेवा का सत्यापन नियमित तौर से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमाँक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवधि जिसका सत्यापन नहीं किया गया
1	श्री निकू राम	मिस्त्री	1.1.09 से 2.4.12
2	श्री सुरेन्द्र कुमार	कनिष्ठ सहायक	20.3.09 से 31.12.09
3	श्री अमर सिंह	बेलदार	1.1.09 से 2.4.12

21 अर्जित अवकाश से सम्बन्धित अभिलेख के अनुरक्षण में पाई गई अनियमिताऐंः–

सेवा पंस्तिकाओं की जाँच में यह पाया गया कि निम्न प्रकरणों में अर्जित अवकाश खातों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 निम्नलिखित तथा इस प्रकार के अन्य समरूप प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में कर्मचारियों के अर्जित अवकाश खातों का रख रखाव नियमानुसार सही ढ़ंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमाँक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	दिनाँक 1.1.15 को अन्तशेष	दिनाँक 1.1.15 के जितना अन्तशेष होना चाहिए	जितने दिनों का अर्जित अवकाश अधिक दर्ज किया गया
1	श्री किरण कुमार	सफाई कर्मचारी	356 दिन	300+15 दिन	41 दिन
2	श्री मुनीष कुमार	बेलदार	93 दिन	90 दिन	3 दिन
3	श्री कश्मीर सिंह	बेलदार	327 दिन	300+15 दिन	12 दिन
4	श्री सुरेन्द्र कुमार	कनिष्ठ सहायक	356 दिन	300+15 दिन	41 दिन

22 पार्ट टाईम कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पद पर परिवर्तित करने बारेः–

वाउचर संख्या 01 दिनाँक 2.9.2013 की जाँच में यह पाया गया कि नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 316/2013 दिनाँक 3.4.2013 द्वारा नगर परिषद में कार्यरत्त पार्ट टाईम कर्मचारियों (श्री हजूरा सिंह, विकास कुमार व श्रीमती रूवी देवी) को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पद पर परिवर्तित किया गया था। परन्तु इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पर्सनल (ए0पी0बी0)एफ (1)–1/2012 दिनाँक 02.06.12 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। अतः सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 कूड़ेदानों की मुरम्मत बारेः–

वाउचर संख्या 29–30 दिनाँक 16.10.2014 की जाँच में पाया गया कि मै0 हिमालय ईन्जीनियर वर्कस ढलियारा, देहरा को उनके बिल नं0–494 दिनाँक 01.10.2014 की एवज में 10 नं0 कूड़ेदानों (Dustbins) की मुरम्मत हेतु ₹95/– प्रति वर्गफुट (बैट सहित) की दर से कुल राशि ₹48208/– का भुगतान किया गया। परन्तु कुल मुरम्मत कार्य हेतु कितने वर्गफुट लोहे का उपयोग हुआ इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया। जिस कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

24 लाईसैन्स फीस की कटौती करने बारेः–

चयनित महीनों के भुगतान वाउचरों की जाँच में यह पाया गया कि श्री किशोरी लाल, कार्यकारी अधिकारी के वेतन बिलों में से माह अप्रैल, 2013 से दिसम्बर 2013 तक ₹194/– प्रतिमाह व माह जनवरी, 2014 से माह मार्च 2015 तक ₹228/– प्रतिमाह तथा श्री नरेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता के वेतन बिलो में से अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक ₹194/– प्रतिमाह व माह जनवरी 2014 से माह दिसम्बर, 2014 तक ₹228/– प्रतिमाह की कटौती लाईसैन्स फीस के रूप में की गई थी। कटौती की दरो से यह प्रतीत होता है कि 4/13 से 12/13 तक पुरानी दरो के अनुरूप टाईप–III भवन की लाईसैन्स फीस की कटौती की जा रही थी, तथा माह 1/14 से संशोधित दरों के अनुरूप टाईप–III भवन की लाईसैन्स फीस

की कटौती की जा रही थी, यद्यपि इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनाँक 5.5.2015 द्वारा आबंटित भवनों की किस्म के बारे में जानकारी माँगी गई, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः आबंटित भवनों के क्षेत्रफल/किस्म के अनुसार लाईसैन्स फीस की गणना की जाये तथा यदि लाईसैन्स फीस की कम कटौती की गई हो तो उसे उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

25 श्रीमती रितु, लिपिक (अनुबन्ध आधार) के वेतन में से ई0पी0एफ0 की कटौती बारेः–

चयनित महीनों के भुगतान वाउचरों की जाँच में यह पाया गया कि श्रीमती रितु, लिपिक (अनुबन्ध आधार) के वेतन में से ई0पी0एफ0 की कटौती की गई तथा परिषद द्वारा नियोक्ता अंशदान का भुगतान किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या Per (AP)-C-A (3)-1/2010 दिनाँक 14.9.2011 के पैरा संख्या 18 (9) के अनुसार अनुबन्धित कर्मचारियों के वेतन में से ई0पी0एफ0 की कटौती नहीं की जानी थी। नियमों के विपरीत कटौती करने के कारण नगर परिषद को नियोक्ता अंशदान राशि के रूप में वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना अनुसार कार्यवाही की जाये व संस्था स्तर पर गणना करके भुगतान की गई राशि को सम्बन्धित विभाग से वसूल करने हेतु प्रयत्न किये गये।

26 सीमेन्ट की अधिक खपत बारेः–

कार्य का नामः– C/O Step in Sera Di Kuwali

ठेकेदार का नामः–श्री विनय गर्ग

अवार्ड पत्र संख्याः– MC/Work/1109 dated 18.7.2012

एम0वी0 संख्याः– 15 पृष्ठ संख्या 75

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 2 (P/L CC 1:2:4) हेतु कुल 10.48 क्यूबिक मीटर मात्रा निष्पादित की गई। इस कार्य हेतु 80 सीमेन्ट बैग की वसूली दर ₹257/– प्रति बैग की गई। गणना के अनुसार निष्पादित किये गए कार्य की मात्रा हेतु अधिकतम 67 बैग सीमेन्ट की खपत की जानी अपेक्षित थी (10.46x6.40=67)। अतः 13 बैग अधिक सीमेन्ट जारी करने बारे स्थिति

स्पष्ट की जाये अथवा अधिक जारी किये सीमेन्ट की शेष पड़ी हुई राशि ₹3341/– (13x257=3341) की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

27 विद्युत विभाग कांगड़ा को राशि ₹11489/– का अधिक भुगतान करने बारेः–

वाऊचर संख्या 35 दिनाँक 13.9.13 की जाँच में यह पाया गया कि कार्यालय के मीटर नं0 1–ए.1–12000358 के माह 8/13 व 9/13 के कुल 90 यूनिट बिजली की खपत हेतु विद्युत विभाग कांगड़ा को ₹12086 का भुगतान किया गया। इस राशि में ₹11489/– का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया गया था, जबकि बिजली रजिस्टर के अनुसार बिजली बिलों का भुगतान समय पर किया गया था। अतः यह मामला बिजली बोर्ड के साथ उठाया जाए व बिजली बोर्ड से इस राशि को वापिस प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयत्न किये जाये।

28 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान में से नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती न करनाः–

चयनित महीनों के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे कि रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा अपने स्त्तर पर की गई। परन्तु इन सामग्रियों की आपूर्तिकार द्वारा ठेकेदार से कटौती की गई रायल्टी के समर्थन में जारी एम0 फार्म न तो ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए किए थे और न ही नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य के भुगतान में से हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग के पत्र संख्या इण्ड–II (एफ) दिनाँक 6.5.2006 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रायल्टी की कटौती की गई थी। अतः पाई गई अनियमिता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

29 निर्माण कार्य बिलों से जलप्रभार की कटौती न करने के कारण राजस्व राशि ₹0.96 लाख की हानि बारेः–

चयनित महीनों के निर्माण बिलों की जाँच में यह पाया गया कि बिलों मे से जल प्रभार की कटौती नहीं की गई थी। माप पुस्तिका या अन्य अभिलेख में ठेकेदार द्वारा जल को क्रय करके निर्माण कार्य मे प्रयोग करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जिससे प्रतीत होता है जल का प्रयोग सरकारी स्त्रोतों/नल से निशुल्क किया गया। निशुल्क जल का प्रयोग करने पर कार्य की कुल लागत 1.5 प्रतिशत की दर से जल प्रभार की कटौती की

जानी आपेक्षित थी, नियुमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने के कारण नगर परिषद निधि को राशि ₹96372/–की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट P"** पर दिया गया है। अतः नियमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि ₹96372/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

30 निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने पर आंबटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से ₹7.08 लाख दंड शुल्क (Penalty) की वसूली न करनाः–

चयनित महीनों के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि परिशिष्ट–M में वर्णित प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं करने पर न तो उनसे कार्य आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार दंड शुल्क (Penalty) की वसूली ही की गई थी और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु नियमानुसार समय अवधि की बढ़ौतरी ही प्रदान की गई थी। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा कार्य आबंटन के पत्र में दी गई शर्तानुसार निर्धारित दर से दंड शुल्क राशि ₹708136/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में इस प्रकार की अनियमितता से सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकरणों में भी अपेक्षित कार्यवाही/वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

31 निर्माण कार्यों के बिलों से श्रमकर की राशि ₹0.64 लाख की कटौती न करनाः–

चयनित महीनों में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ठेकेदारो के निर्माण कार्यों के बिलों से परिशिष्ट N में वर्णित प्रकरणों में ₹63581/– श्रमकर की कटौती नहीं की गई थी जबकि श्रम आयुक्त हिमाचल पदेश के पत्र संख्या 1–2000 (Lab.)BCWA दिनाँक 30.1.2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग इस कटौती के रूप में ठेकेदारो से वसूल किया जाना व H.P. Building and other Construction Works welfare Board में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा नियमानुसार ₹63581/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके उपरोक्त वर्णित बोर्ड के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में इस प्रकार की अनियमितता से सम्बन्धित अन्य

समस्त प्रकरणों में भी अपेक्षित कार्यवाही/वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 दरों की जस्टीफिकेशन तैयार किये बिना कार्यों का आबंटन करनाः–

निर्माण बिलों की जाँच में यह पाया गया कि निर्माण कार्यों के प्राकलन हि0प्र0लो0नि0 विभाग की मानक सूची दरों 2009 के अनुसार तैयार किये गए थे, परन्तु विभिन्न ठेकेदारो को कार्य का आबंटन प्राकलन में वर्णित दरों से अधिक दरों पर किया गया था। अधिक दरों को उचित ठहराने हेतु दरों की जस्टीफिकेशन तैयार नहीं की गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अथवा परिशिष्ट O में वर्णित एवं इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों की छानबीन संस्था स्त्तर पर की जाये तथा यदि जस्टींफिकेशन दरे आबंटित दरों से कम पाई जाती है तो विभिन्न ठेकेदारों को किये गए अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

33 सीमेन्ट को ईन्डेट के द्वारा जारी नहीं करनाः–

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जाँच में यह पाया गया कि सीमेन्ट को इन्डेट बुक के माध्यम से जारी नहीं किया गया था, जिसके अभाव में सीमेन्ट जारी करने एव वास्तव में स्टोर से सीमेन्ट उठाने की मात्रा में अनियमितताओं की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इन्डेट बुक के माध्यम से सीमेन्ट जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये।

34 विभागीय कार्य हेतु सीमेन्ट जारी करने बारेः–

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न विभागीय कार्यों हेतु यद्यपि सीमेन्ट जारी किया गया था, परन्तु एम0ए0एस0 रजिस्टर के अनुसार उन कार्यों के विरूद्ध रेत, बजरी इत्यादि जारी नहीं की गई थी। बिना रेत, बजरी इत्यादि के कार्यों का निष्पादन किया जाना असंभव प्रतीत होता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक	स्टॉक रजिस्टर पेज नं0	कार्य	जारी किया गया सीमेन्ट	टिप्पणी
2.1.15	21	–यथोपरि–	10 बैग	No sand/agreegate used as per MAS register

28.2.15	22	–यथोपरि–	5 बैग	–यथोपरि–
20.3.15	23	–यथोपरि–	10 बैग	–यथोपरि–
		कुल	**25 बैग**	

अतः उपरोक्त जारी किये गए 25 बैग सीमेन्ट का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा संस्था स्त्तर पर छानबीन करने के उपरान्त बिना कार्य के जारी किये गए सीमेन्ट की वसूली इश्यू दर से दोगुनी दर पर (257x2x25=12850) पर की जानी सुनिश्चित की जाये।

35 पार्किंग के निर्माण पर राशि ₹37.59 लाख के अनुपयोगी व्यय बारेः–

अभिलेख की जाँच पर यह पाया गया कि नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 630 दिनाँक 11.3.2010 के द्वारा पुराना कांगड़ा रोड, वार्ड नं0 05 मे रैन बसेरा भवन के समीप आर0जी0यू0आर0एफ0 योजना के अन्तर्गत निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला से प्राप्त अनुदान राशि ₹31.00 लाख में से पार्किंग के निर्माण का निर्णय लिया गया, जिस हेतु अधिक्षण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से ₹5661670/– की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करके अवार्ड पत्र संख्या एम0सी0के0/2010/2079 दिनाँक 20.9.2010 के अन्तर्गत उक्त पार्किंग का निर्माण कार्य श्री नागेश्वर मनकोटिया ठेकेदार को राशि ₹3452250/– में आबंटित किया गया। माप पुस्तिका 15 पृष्ठ संख्या 13 के अनुसार उकत कार्य दिनांक 01.4.2013 को पूर्ण हुआ व अन्तिम बिल के अनुसार ₹3759088/– का कुल भुगतान किया गया। यद्यपि पार्किंग का निर्माण अप्रैल 2013 में पूरा कर लिया गया था परन्तु उक्त पार्किंग का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। जिस कारण ₹37.59 लाख का व्यय अनुपयोगी रहा। यह मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7 दिनाँक 23.5.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कांगड़ा के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः पार्किंग के निर्माण पर राशि ₹37.59 लाख के अनुपयोग व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

36 सफाई कार्य को ठेके पर देने बारेः–

अभिलेख की जाँच पर यह पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा विभिन्न वार्डों का सफाई का कार्य निम्न विवरणानुसार ठेके पर दिया गया थाः–

वर्ष	वार्डों की सं0	ठेकेदार का नाम	ठेका राशि प्रतिमाह	सफाई कर्मचारियों की सं0	टिप्पणी
2013–14	5	श्री संदीप कुमार	90000	15	6000/– प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह
2014–15	5	श्री संजय कुमार	89000	15	6000/– प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह

परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना, परिशिष्ट J के अनुसार परिषद में सफाई कर्मचारियो ंके कुल 22 पद स्वीकृत है। जिनमें से अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल 14 सफाई कर्मचारी कार्यरत थे। 15 अन्य व्यक्तियों को सफाई कार्य करने हेतु ठेके पर रखने के कारण सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या 29 हो जाती है। वर्ष 2013–14 व 2014–15 में ठेका राशि लगभग 6000/– प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह थी। इस प्रकार स्वीकृत पदों से अधिक लगाए गये 7 कर्मचारियो ंको दो वर्षों में लगभग (7x6000x24) ₹1008000/– का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है।अतः यह मामला उच्च सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार उचित समाधान करने हेतु लाया जाता है।

37 जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 की खाता बहियों के रख रखाव बारेः–

जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 की खाता बहियों की जाँच में पाया गया कि यद्यपि कर्मचारियो ंके अंशदान की प्रविष्टि खाताबहियों में की गई थी, परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता बहियों के न तो योग लगाये गए थे और न ही ब्याज की प्रविष्टियाँ दर्ज की गई थी, जिसके कारण संस्था के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अनुचित लाभ/हानि होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। उदाहरणतः श्रीमती वीना देवी, सफाई कर्मचारी व श्री किशोरी लाल, सफाई निरीक्षक को उनकी सेवा निवृति पर क्रमशः वाउचर संख्या 38 दिनाँक 30.12.2014 द्वारा ₹266977/– व वाउचर संख्या 13 दिनाँक 2.6.2014 द्वारा ₹170088/– का भुगतान बिना ब्याज के किया गया। अतः जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 की खाता बहियों में पाई गई त्रुटि बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर

अवगत करवाया जाए तथा यह परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में भी उक्त खातों का रख रखाव नियमानुसार किया जाये।

38 अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को पैन्शन व उपदान निधि में राशि ₹5.18 लाख का अनियमित भुगतानः—

चयनित महीनों के भुगतान वाउचरों की जाँच में यह पाया कि H.P. municipality Employees (Pension, gratuity & GPF) rules, 2000 के नियम 3 (3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका द्वारा हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12 प्रतिशत पैन्शन तथा 5 प्रतिशत ग्रेच्युटी का अभिदान पैन्शन एवम उपदान निधि में जमा करवाया जा रहा था। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-II(130/10) 7/2000 दिनाँक 20.12.2003 द्वारा जारी अनुदेशानुसार नगरपालिका द्वारा उक्त वर्णित अभिदान कुल स्वीकृत पदो ंके विरूद्ध जमा किया गया था जिसमें अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी भी शामिल थे। चूकिं नगर पालिका निधि से अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का अंशदान अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) निधि में अलग से जमा करवाया गया था इसलिए अंशदाई पैन्शन योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को (H.P. Municipalty employees Pension gratuity and GPF) Rules 2000 के अनुसार पैन्शन व ग्रेच्युटी का अभिदान देय नहीं था। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि (1.4.2013 से 31.3.15 तक) के दौरान निम्न विवरण अनुसार नगरपालिका निधि से इन कर्मचातरियो के पक्ष में पैन्शन एवम उपदान निधि में ₹518256/— का अनियमित भुगतान किया गया। अतः यह मामला पालिका अधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार उचित समाधान करने हेतु लाया जाता है।

Sr. No.	Name of Employee	Designation	Pay Band	Pension Contribution @ 12%	Gratiuty Vontribution @ 5%	Total P/Month
1	Sh. Ramakant	Sanitary Supervisor	5910-20200	2424	1010	3434
2	Smt. Saroj Bala	Chowkidar	4900-10680	1282	534	1816
3	Sh. Rustam	Beldar	4900-10680	1282	534	1816

4	Sh. Daljeet	Beldar	4900-10680	1282	534	1816
5	Sh. Onkar	Beldar	4900-10680	1282	534	1816
6	Sh. Vinod	Beldar	4900-10680	1282	534	1816
7	Sh. Minshi-I	Beldar	4900-10680	1282	534	1816
8	Sh. Bansi Lal	Beldar	4900-10680	1282	534	1816
9	Sh. Ramesh	Beldar	4900-10680	1282	534	1816
10	Sh. Pardeep	Beldar	4900-10680	1282	534	1816
11	Sh. Munish-II	Beldar	4900-10680	1282	534	1816
			Total	**15244**	**6350**	**21594**

दिनाँक 1.4.2013 से दिनाँक 31.3.2015 तक उपरोक्त कर्मचरियों का कुल अंशदान 21594x24=518256

39 गाड़ी नं0 एच0पी0–40 वी 0103 के प्रयोग करने बारेः–

गाड़ी नं0 एच0पी0 40 वी–0103 की लॉग बुक के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताऐ ंपाई गईः–

(1) अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त गाड़ी 17260 कि0मी0 चलाई गई, परन्तु कुछ एक प्रकरणो के छोड़कर अधिकतर यात्राओं में लॉग बुक पर चालक के हस्ताक्षर नहीं थे जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0एच0 (सी) (10)–9/2002–10147–10198 दिनाँक 15.9.2007 के द्वारा अध्यक्ष, नगर परिषद को परिषद की गाड़ी का प्रयोग करने हेतु परिषद सदन से स्वीकृति लेनी अपेक्षित थी। अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त गाड़ी का लगभग 1710 कि0मी0 तक का प्रयोग अध्यक्ष, नगर परिषद द्वारा किया गया था, परन्तु इस सन्दर्भ में नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की नहीं की गई। अतः नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके की गई यात्राओं को नियमित करवाया जाये।

(3) कुछ एक प्रकरणों में निम्न विवरणानुसार की गई यात्राओं से सम्बन्धित उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया था जिसके अभाव में इन यात्राओं की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

दिनाँक	यात्रा स्थान	तय की गई दूरी	यात्रा करने वाला अधिकारी
27.6.13 से 28.6.13	कांगड़ा से शिमला व वापिस कांगडा	518 कि0मी0	कार्यकारी अधिकारी
17.1.13	कांगड़ा से शिमला व वापिस कांगडा	499 ि0मी0	अध्यक्ष
25.12.14	कांगड़ा से शिमला व वापिस कांगडा	550 कि0मी0	अध्यक्ष

(4) उक्त गाड़ी की माहवार औसत तेल खपत नहीं निकाली गई थी, जिससे इस तथ्य का पता नहीं चलता कि डीजल की खपत निर्धारित मानकों के अनुसार की गई है अथवा नहीं। उपरोक्त अनियमितताऐं, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 8 दिनाँक 25.5.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये।

40 स्थाई वस्तुओं का अन्तशेष शून्य दर्शाने बारेः–

स्टॉक रजिस्टरों की जाँच में यह पाया गया कि कुछ एक स्थाई वस्तुओं के अन्तशेष तभी शून्य होना चाहिए जब वास्तव में स्थाई वस्तु अनुपयोगी घोषित करने उपरान्त नीलाम/नष्ट कर दी जाए। उदाहरण के तौर पर Sanitation Stock Register के पृष्ठ 89 पर विभिन्न जगहों पर 6 नं0 डस्टबिन को फिक्स करने उपरान्त डस्टबिन का अन्तशेष शून्य दर्शाया गया था। अतः विभागीय तौर पर स्थाई वस्तुओं के समस्त स्टॉक की मात्रा को सही करने उपरान्त भविष्य में भी स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

41 प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जबकि नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 244 के अनुसार समस्त परिसम्पतियों का सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था। अतः नियम 2.4.4 के अनुसार भण्डार में

पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

42 वर्गीकृत खाता बहियों को तैयार न करनाः–

नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न मदों पर व्यय भी किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा आय व व्यय के मदवार पृथक–2 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी। मदवार खाता बहियाँ तैयार नही होने की स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक निश्चित अवधि में विभिन्न मदों में आय व व्यय की कितनी माँग थी, कितनी प्राप्ति व व्यय हुआ तथा एक निश्चित तिथि को कितनी राशि वसूली अथवा भुगतान हेतु शेष थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनाँक 01.'4.2015 द्वारा आय–व्यय का मदवार ब्यौरा अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे अनुरोध किया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक वाँछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक आय व्यय मद की खाता बहियाँ तैयार की जाए। कृत कार्रवाई उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

43 अग्रिम राशि ₹25000/– का समायोजन न करने बारेः–

अग्रिम रजिस्टर की जाँच में यह पाया गया कि दिनाँक 31.3.2015 को ₹25000/– की राशि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के नाम समायोजन हेतु शेष पड़ी हुई थी, यह राशियाँ वर्ष 2004 से लम्बित पड़ी हुई है। लगभग 10–11 वर्षों तक अग्रिम राशियों का समायोजन न करना स्वतः ही अनियमित है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अग्रिम राशियों की वसूली हेतु अविलम्ब समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाये।

Sr. No.	Name of Designation	Advance (in Rs)	Date	Purpose
1	Sh/. Ravinder kumar, Clerk	15000	18.12.2010	MC Election
2	Sh. Kamal Kant, Junior Engineer	5000	20.10.2004	C/O Work
3	Sh. Kamal Kant, Junior Engineer	5000	02.05.2005	Foundation Stone for Rehan Basera
	Total	**25000**		

44 **लघु आपत्ति विवरणिका :—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

45 **निष्कर्ष :—** नगर परिषद के लेखाओं के रख रखाव में अधिक सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :— V(5)-फिन(एल0ए0डी0)—खण्ड—5—6817—6818, दिनांक, 20.11.15 शिमला—171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत : 2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

नगर परिषद कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

परिशिष्ट "A"

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82

1	पैरा–16 (ए)	श्री विशम्बर दास, हैड कर्लक को वेतन का अधिक भुगतान किया गया है, की वसूली हेतु।	अनिर्णीत
2	पैरा–16 (बी)	–यथोपरि–	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90

1	पैरा–15 (छ)	श्री जे0एन0 नाग ठेकेदार को अधिक दर पर भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा–15 (ब)	भण्डार रजिस्टर में सामान की खपत व शेष सामान की तुलना न हो पाना	अनिर्णीत
3	पैरा–17 (ञ)	अग्रिम राशि को वसूलने व एडजस्टमैन्ट करने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/92

1	पैरा–22 (च)	बिजली के बिल व रसीदें, वाऊचर के साथ संलग्न न होना।	अनिर्णीत
2	पैरा–30	विद्युत विभाग को स्ट्रीट लाईट प्वाईंट लगाने हेतु धन राशि दी गई थी, उसके वास्तविक व्यय की जानकारी उपलब्ध न करवाने बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा–37	भवन निर्माण कार्य हेतु ईन्ट, सरीया क्रय किया गया की खपत व माप पुस्तिका में ईन्द्राज व कार्य पंजिका दर्शाने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/96

1	पैरा–5 (1)	अनुदान राशि का अधिक व्यय किये जाने बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (4)	गृहकर की वसूली नियमित रूप से न किये जाने बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (2)	किराये की वसूली arrear of land revenue act के अन्तर्गत वसूल करने बारे।	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (3)	किरायेदारों से किराया वसूल करने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2007

1	पैरा–2 (ग)	लेखा परीक्षाधीन अवधि के दौरान सावधि जमा राशियों की अवधि पूर्ण होने पर बैंकों द्वारा ब्याज राशि कम दिये जाने पर नगर परिषद को ₹46180/– की हानि बारे।	अनिर्णीत

2	पैरा–3 (क) (1 से 5)	लेखा परीक्षाधीन अवधि के दौरान प्राप्त सरकारी अनुदान को सरकार की शर्तों अनुसार खर्च न करने बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा–3 (ख) (1 से 5)	पूर्व वर्ती अवधि के दौरान प्राप्त सरकारी अनुदान	अनिर्णीत
4	पैरा–3 (घ)	गृह नाम पटिटका के विरूद्ध ₹21750/– की शेष देय राशि वसूल करने बारे।	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (3)	गृहकर की गत शेष की ₹660/– की कम मांग व वसूली बारे।	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (3) (क)	गृहकर की वर्षवार वसूली में विशेष प्राप्ति न होना।	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (3) (ख)	गृहकर प्राप्ति में दी गई अनियमित छूट ₹268181/– की वसूली बारे।	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (3) (ग)	गृहकर की दर 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत न बढ़ाने पर सरकार के आदेशों का उल्लघंना करके ₹2805843/–की राशि की हानि	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (4)	नगर परिषद के भवनों/दुकानों स्टालों तथा अन्य परिसरों के किराये के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (4) (ङ)	निलामी की शर्तों के अनुसार किराये की राशि में बढ़ौतरी न करने के फलस्वरूप ₹213606/– की राशि नगर परिषद को हानी।	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (4) (ज)	प्रैस क्लब को मात्र ₹1 किराये पर प्रति मास नगर परिषद द्वारा अपनी सम्पत्ति आंबटित करने में अनियमितता।	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (4) (ट)	मै0 कावासाकी एडवरटाईजमैन्ट शिमला से विज्ञापन शुल्क के रूप में ₹13072/– की राशि की वसूली न करना।	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (4) (ठ)	श्री कमलेश सगोत्रा, धर्मशाला से विज्ञापन शुल्क के रूप में ₹18750/– की राशि की वसूली न करना।	अनिर्णीत
14	पैरा–4 (6)	श्रीमती कमलेश कुमारी से 2 प्रतिशत स्टैंप डयूटी में ₹5676/– की कम वसूली करना।	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (7)	स्टैंप डयूटी में ₹112079/– की कम वसूली करने बारे।	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (9)	अवैध भवनों को कम्पाऊंड व शुल्क जमा करवाने बारे।	अनिर्णीत

17	पैरा–4 (11) (क)	रोड़ कटिंग चार्जिज में ₹11485/– की राशि वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
18	पैरा–4 (11) (ख)	रोड कटिंग चार्जिज में ₹84117/– की राशि वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (12) (क)	टोल टैक्स में ₹26000/– बकाया के रूप में वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (12) (ख)	टोल टैक्स में ₹2559/– विलम्ब ब्याज के रूप में वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
21	पैरा–4 (12) (ग)	टोल टैक्स में ₹447551/– विलम्ब ब्याज के रूप में वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
22	पैरा–4 (14)	लिक्चर कर व विद्युत उपयोग कर के सम्बन्ध में विस्तरित जानकारी का न होना।	अनिर्णीत
23	पैरा–4 (15)	लाईसैन्सों की मात्रा में गत वर्ष की तुलना में कमी आना।	अनिर्णीत
24	पैरा–5 (1)	अस्वीकृत पदों के विरूद्ध दैनिक भोगियों की नियुक्ति व बजट प्रावधान से अधिक व्यय।	अनिर्णीत
25	पैरा–5 (4)	श्री दर्शन लाल गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी सेवा निवृत से ₹36320/– की राशि छुटटी की राशि भुनाने पर अधिक भुगतान व वसूली न करने में अनियमिता।	अनिर्णीत
26	पैरा–5 (5)	श्री दर्शन लाल गुप्ता, कार्यकारी आहरण सेवा निवृत द्वारा अधिक वेतन आहरण के कारण ₹23717/– की मूल वेतन व अन्य वेतन भत्ते के रूप में अधिक भुगतान की वसूली के बारे में।	अनिर्णीत
27	पैरा–5 (6)	अंशकालीन कर्मी को देय अवकाश की अनियमित अदायगी ₹838/– की वसूली बारे।	अनिर्णीत
28	पैरा–5 (9)	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के सफाई कार्य हेतु मजदूरों का रखा जाना।	अनिर्णीत
29	पैरा–5 (10)	दिहाड़ी पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों के स्वीकृति के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
30	पैरा–5 (11)	दिहाड़ी पर नियुक्त किये गये कनिष्ठ अभियन्ता की स्वीकृति के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
31	पैरा–5 (16)	श्री रत्न चन्द सेनेटरी बेलदार को ₹721/– का अनियमित भुगतान	अनिर्णीत
32	पैरा–6 (1)	व्यय को हाऊस से मद वार अनुमोदन करवाने की अपेक्षा इक्टठा ही अनुमोदन करवाना।	अनिर्णीत

33	पैरा–6 (4)	वाऊचर संख्या 31 दिनांक 9.4.96 राशि ₹14798/– की अदायगी बिना स्वीकृति प्राप्त किये करना।	अनिर्णीत
34	पैरा–6 (5)	विभिन्न भुगतानों में पाई गई अनियमितता के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
35	पैरा–6 (6)	बिजली के बिलों में बकाया अनियमित भुगतान ₹14430/– बारे।	अनिर्णीत
36	पैरा–6 (7)	वास्तविक प्राप्ति रसीदें प्राप्त न करना।	अनिर्णीत
37	पैरा–6 (8)	अध्यक्ष के दूरभाष पर व्यय का अनियमित भुगतान।	अनिर्णीत
38	पैरा–6 (9)	नगर परिषद निधि पर व्ययों का उचित प्रभार न होने के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
39	पैरा–6 (11)	₹647/– आय कर व बिक्री कर जमा न करवाने बारे।	अनिर्णीत
40	पैरा–6 (12)	बिना निविदायें आमंत्रित तथा आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण किये सामान क्रय करने बारे।	अनिर्णीत
41	पैरा–6 (13)	कम्पयूटर खरीद करने पर अनियमितता बारे।	अनिर्णीत
42	पैरा–6 (14)	कार्यालय के टेलीफोन संख्या 265035 में EPABxSYSTEM लगवाने में अनियमितता बारे।	अनिर्णीत
43	पैरा–6 (15)	सोलिड वेस्ट मैनेजमैनट में प्रोजेक्ट रिपैंट बनाने हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त न करना।	अनिर्णीत
44	पैरा–6 (16)	हाऊसिंग बोर्ड से कार्यकारी अधिकारी निवास हेतु मकान की खरीद करना।	अनिर्णीत
45	पैरा–6 (17)	रा0व0मा0पा0 के कमरों का निर्माण परिषद द्वारा न करवाकर जिलाधीश के आदेशों के विपरीत प्रधानाचार्य से करवाना।	अनिर्णीत
46	पैरा–6 (18)	जयसिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर में सराय का निर्माण परिषद द्वारा न करवा कर जिलाधीश के आदेशों के विपरीत प्रधान जयसिद्ध बाबा बालक नाथ से करवाना।	अनिर्णीत
47	पैरा–6 (19)	जिला प्रैस क्लब कांगड़ा को ₹325000/– की राशि का अनियमित भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
48	पैरा–6 (20)	₹1640/– आयकर व बिक्री कर जमा न करवानें बारे।	अनिर्णीत

49	पैरा–6 (21)	विरभद्र व शिवाला महादेव में सेप्टिक टैंक व टायलैट का निर्माण कार्य नगर परिषद द्वारा न करके ट्रस्ट द्वारा करवाया गया अपितु उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद द्वारा भेजा गया, के प्रति।	अनिर्णीत
50	पैरा–6 (22)	भूमिक्रय करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त न करने में अनियमितता।	अनिर्णीत
51	पैरा–6 (23)	बिना प्रस्ताव पारित किये श्री महेश दत शर्मा, कार्यकारी अधिकारी को कांगड़ा से पालमपुर जाने के लिए डीजल चार्जिज का भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
52	पैरा–6 (24)	सेवा निवृति कर्मचारियों को दिए गए सामान को वापिस मूल्य की वसूली न किए जाने बारे।	अनिर्णीत
53	पैरा–7 (1)	श्री बतन कुमार ठेकेदार द्वारा डुंगा बाजार टायलट निर्माण किया गया, जिसका इन्द्राज माप पुस्तिका में प्रविष्टियॉं तकनीकी अधिकारी द्वारा चैक न करवाने बारे।	अनिर्णीत
54	पैरा–7 (2)	सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट प्रोजेक्ट में ंखुदाई व कटान हेतु गलत गणना के कारण ₹20610/– का अधिक भुगतान की वसूली बारे।	अनिर्णीत
55	पैरा–7 (3)	₹3523/– आयकर व बिक्री कर जमा न करवाने बारे।	अनिर्णीत
56	पैरा–7 (4)	₹5412/– आयकर व बिक्री कर जमा न करवाने बारे।	अनिर्णीत
57	पैरा–7 (5)	बाल्मिकी मोहल्ला में सामुदायिक हाल के निर्माण कार्य हेतु प्राकलन तैयार न करना व गलियों के निर्माण में शडयूल रेट में विविधता का होने बारे।	अनिर्णीत
58	पैरा–7 (6)	एक ही समय में चार ठेकेदारों को अलग–2 शडयूल रेटों पर कार्य आंबटित करने बारे।	अनिर्णीत
59	पैरा–7 (7)	वाऊचर संख्या 39 दिनांक 20.4.99 में गलत गणना के कारण ₹13899/– का अधिक भुगतान	अनिर्णीत
60	पैरा–7 (8)	गलत शडयूल रेट लगाने के कारण ₹3888/– एवं ₹3095/– का अधिक भुगतान।	अनिर्णीत
61	पैरा–7 (9)	श्री पंकज परवाण ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण के प्राकलन में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करना व शडयूल रेट गलत निर्धारित करने बारे।	अनिर्णीत

62	पैरा–7 (10)	श्री पंकज परवाण को नाली के निर्माण करने हेतु ₹825/– एवं ₹518/– का अधिक भुगतान	अनिर्णीत
63	पैरा–7 (11)	गुप्त गंगा के पास रिटेनिंग वाल के निर्माण कार्य के लिए ₹13531/– का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
64	पैरा–7 (12)	न्याययिक परिसर में शैड निर्माण के लिए सार्वजनिक निविदा के स्थान पर लेबर रेट पर कुटेशन आमन्त्रित करने बारे।	अनिर्णीत
65	पैरा–7 (13) (1)	₹5500000/– को खर्च का अभिलेख न बनाने बारे।	अनिर्णीत
66	पैरा–7 (13) (2)	विकास कार्य में रिटैनिंग वाल व भूमि कटान हेतु बनाये गए प्राकलन में कटिंग कार्य में कोई काम के पत्थर न होने से ठेकेदार को अनुचित लाभ पहंचाने बारे।	अनिर्णीत
67	पैरा–7 (13) (3)	शडयूल रेट से अधिक दर से ठेकेदार को अधिक लाभ पहुंचाने बारे।	अनिर्णीत
68	पैरा–7 (13) (4)	भूमि कटान के कार्य में ठेकेदार को ₹8397/– के अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
69	पैरा–7 (13) (5)	सीमेन्ट जो जारी किया गया था उसमें शेष बची बोरियों की वापिसी सुनिश्चित न करने के कारण ₹7120/– की हानि।	अनिर्णीत
70	पैरा–7 (13) (6)	2 प्रतिशत विक्रय कर के रूप में कम वसूली ₹2599/– की हानि बारे।	अनिर्णीत
71	पैरा–7 (13) (7)	2.2 प्रतिशत आय की ₹3936/– की कम वसूली।	अनिर्णीत
72	पैरा–7 (13) (8)	निर्धारित सीमेन्ट की खपत से कम खपत करने बारे।	अनिर्णीत
73	पैरा–7 (14)	न0प0 निर्माण कार्यों को मस्टरोलो पर कार्य निष्पादन करने पर कम मूल्य आंकलन करने से ₹96261/– की होनी।	अनिर्णीत
74	पैरा–7 (14) (1)	आयकर के रूप में ₹11412/– की कम कटौती करने बारे।	अनिर्णीत
75	पैरा–7 (15)	मस्टरोलों पर किये गए निर्माण कार्यो की प्रगति प्रोग्रेस न निकालने बारे।	अनिर्णीत
76	पैरा–7 (16)	NRY के अन्तर्गत फर्नीचर व अन्य सामान की खरीद करने के कारण ₹94301/– का गलत उपयोग करने बारे।	अनिर्णीत

77	पैरा–7 (17)	पौलिटैक्निक परिसर के पास नाली के निर्माण कार्य में ठेकेदार को ₹2686/– के अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
78	पैरा–7 (18)	सोलिड वेस्ट मेनेजमैन्ट परियोजना के अन्तर्गत 22 नं0 वैटरी के निर्माण कार्य में अनियमितता बारे।	अनिर्णीत
79	पैरा–7 (18) (1)	ठेकेदार से पंजीकरण सम्बन्धित कागजात प्राप्त न करके निदेशालय के आदेशों की अवहेलना करने बारे।	अनिर्णीत
80	पैरा–7 (18) (2)	निर्माण कार्य के निष्पादन में गलत दर स्वीकृत करने पर ₹11188.00 का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
81	पैरा–7 (18) (3)	स्टील की मद के निष्पादन में गलत गणना के कारण ₹18821.00 के अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
82	पैरा–7 (18) (4)	स्टील की मद के निष्पादन में अधिक व गलत दर लगाने के फलस्वरूप ₹22586.64 के अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
83	पैरा–7 (18) (5)	स्टील व सीमेन्ट की उपयोगिता में विविधता।	अनिर्णीत
84	पैरा–7 (19) (1 से 5)	SWMP के प्लेटफार्म के निर्माण कार्ये के निष्पादन में अनियिमतता।	अनिर्णीत
85	पैरा–7 (20) 1 से 3	माता श्री ब्रजेश्वरी देवी मन्दिर को लिंक मार्ग चर्च तक के निर्माण कार्य के निष्पादन में अनियमितता।	अनिर्णीत
86	पैरा–7 (21)	मिशन मार्ग कांगड़ा में लेवलिंग कार्य के लिये जे0सी0वी0 मशीन के बिल के रूप में ठेकेदार को ₹4763/– का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
87	पैरा–7 (22) (1)	टैण्डर कार्य में प्रीमियम दर से अधिक दरें निर्धारित करके ₹59172/– का अधिक भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
88	पैरा–7 (22) (2)	Subsitute मद का अधिक दर पर भुगतान करने से ₹14062/– का अधिक भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
89	पैरा–7 (22) (3)	अतिरिक्त मद का बाजार दर से अधिक दर पर भुगतान के परिणामस्वरूप ₹200/– का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
90	पैरा–7 (22) (4)	अतिरिक्त मद हेतु ₹8988/– का अधिक भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
91	पैरा–7 (22) (5)	Negotiated मदों की दरों को विकृत करके बढ़ाने बारे।	अनिर्णीत

92	पैरा–7 (22) (6)	विलम्ब कार्य करने हेतु दण्ड वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
93	पैरा–7 (22) (7)	बिना अनुबन्ध के निर्माण कार्ये का आंबटन करने बारे।	अनिर्णीत
94	पैरा–7 (22) (8)	सीमेन्ट स्टील की आपूर्ति विभागीय तौर पर न करने बारे।	
95	पैरा–7 (22) (9)	बिना तकनीकी स्वीकृति व प्राकलन से निर्माण कार्य के निष्पादन बारे।	अनिर्णीत
96	पैरा–7 (22) (10)	टैण्डर दरों में जस्टीफिकेशन तैयार न करने बारे।	अनिर्णीत
97	पैरा–7 (23) (1 से 4)	बिना टैण्डर कुटेशन कार्य करना, वर्क रजिस्टर तैयार न करना व ₹570/– का अधिक भुगतान।	अनिर्णीत
98	पैरा–7 (24)	वार्ड नं0 05 में अग्रवाल के घर के रास्ते के निर्माण कार्य में अनियमितता।	अनिर्णीत
99	पैरा–7 (24) (1)	निर्माण कार्य में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करने बारे।	अनिर्णीत
100	पैरा–7 (24) (2)	ठेकेदार को प्रोवाडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कन्करीट की मद में ₹1324/– का अधिक भुगतान	अनिर्णीत
101	पैरा–7 (25)	रैहन बसेरा भवन के निष्पादन कार्य में अनियमितता।	अनिर्णीत
102	पैरा–7 (25) (1)	रैहन बसेरा के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकार से प्राप्त न करने बारे।	अनिर्णीत
103	पैरा–7 (25) (2)	निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए अधिक दरें स्वीकृत करने में	अनिर्णीत
104	पैरा–7 (25) (3)	सीमेन्ट व स्टील के उपयोग हेतु अभिलेख तैयार न करने बारे।	अनिर्णीत
105	पैरा–7 (26)	टैण्डर बिक्री आय की वसूली में अनियमितता।	अनिर्णीत
106	पैरा–7 (27)	ठेकेदारों से आयकर बिक्री कर के रूप में ₹10368/– की राशि की कटौती न करने बारे।	अनिर्णीत
107	पैरा–7 (28)	निर्माण कार्य सामग्री का क्रय व रख रखाव में अनियमितता।	अनिर्णीत
108	पैरा–7 (28) (क)	सामुदायिक शौचालय के लिए सैनेटरी फिटिंग की खरीद पर राशि ₹516/– के भुगतान में अनियमिता।	अनिर्णीत
109	पैरा–7 (28) (ख)	लोहे की ग्रिल की आपूर्ति हेतु ₹629/– का अधिक भुगतान।	अनिर्णीत
110	पैरा–7 (28) (ग)	डुप्लीकेट बिलो ंपर सत्यापित किए बिना भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत

111	पैरा–7 (28) (घ)	खुले बाजार से सीमेन्ट की खरीद में अनियमितता।	अनिर्णीत
112	पैरा–7 (28) (ङ)	ईंटों की खरीद की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर/एम0एस0 में न दिखाना।	अनिर्णीत
113	पैरा–7 (28) (च)	रेता, बजरी व पत्थर की खरीद की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर एवं एम0एस0 में न दिखाना।	अनिर्णीत
114	पैरा–7 (28) (छ)	टायलों की खरीद पर ₹21600/– की राशि का संदिग्ध भुगतान।	अनिर्णीत
115	पैरा–7 (28) (ज)	लोहे के गेट के निर्माण में अनियमितता।	अनिर्णीत
116	पैरा–7 (28) (झ)	राशि ₹62458/– के मूल्य की निर्माण कार्य सामग्री की एम0एस0 में प्रविष्टि न दिखाना और न ही उपयोग दिखाना।	अनिर्णीत
117	पैरा–7 (28) (ञ)	निर्माण कार्य सामग्री आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों से ₹1893/– की राशि की आयकर की कटौती न करना।	अनिर्णीत
118	पैरा–7 (28) (ट)	ठेकेदारो ंसे सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु कम कटौती करने पर ₹3163/– की राशि की वसूली के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
119	पैरा–7 (28) (ठ)	सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में 9 बोरी की कमी के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
120	पैरा–7 (29)	नगर परिषद के स्टॉक व सम्पत्तियों के सत्यापन के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
121	पैरा–7 (30)	स्वर्ण जयन्ती शहरी स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन में ₹1662197.50 की राशि का दुरूपयोग व गम्भीर अनियमितताए।	अनिर्णीत
122	पैरा–7 (31)	शुष्क शैचालयों को पानी के बहाव में परिवर्तन करने पर दिये गए अनुदान राशि ₹1392900/– के आंबटन में अनियमितता।	अनिर्णीत
123	पैरा–7 (31) (क)	बिना लाभार्थियों को भुगतान करने पर अनियमितता।	अनिर्णीत
124	पैरा–7 (31) (ख)	कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट में संदिग्धता।	अनिर्णीत
125	पैरा–7 (31) (ग)	अनुदान राशि के भुगतान हेतु बीअरर चैक जारी करने के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
126	पैरा–7 (31) (घ)	वास्तविक पावती मौजूद न होने के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
127	पैरा–7 (31) (ङ)	स्वीकृति के अनुसार सम्बन्धित लाभार्थियों की अनुदान के भुगतान न करने में अनियमितता।	अनिर्णीत

128	पैरा–7 (31) (च)	अनुदान उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता।	अनिर्णीत
129	पैरा–8 (1)	महिन्द्रा पिकअप वैन की खरीद में अनियमितता।	अनिर्णीत
130	पैरा–8 (2)	सरकार की स्वीकृति के बिना थ्री–व्हीलर की खरीद बारे।	अनिर्णीत
131	पैरा–8 (3)	वाहनों की लॉग बुक के रख रखाव के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
132	पैरा–8 (4)	थ्री व्हीलर एच0पी0 40–4433 की नीलामी बारे।	अनिर्णीत
133	पैरा–8 (5)	ट्रैक्टर एस0आई0के0 5306 की नीलामी के बारे।	अनिर्णीत
134	पैरा–8 (6)	पुराने वाटर टैंक की नीलामी के सम्बन्ध में	अनिर्णीत
135	पैरा–8 (7)	वाहन एच0पी0 40–5035 की मुरम्मत में अनियमितता	अनिर्णीत
136	पैरा–8 (7) (i)	–यथोपरि–	अनिर्णीत
137	पैरा–8 (8)	वाहन क्रमांक एच0पी0 68–0165 गाड़ी के कम उपयोग बारे।	अनिर्णीत
138	पैरा–8 (9)	गाड़ियों द्वारा सीमा से बाहर जाने पर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न करना।	अनिर्णीत
139	पैरा–10 (2)	हि0प्र0 नगरपालिका कर्मचारी पैन्शन उपदान तथा भविष्य निधि का रख रखाव बारे।	अनिर्णीत
140	पैरा–10 (3)	पैन्शन निधि व अनुदान निधि में कम जमा करवाने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा–3	वित्तीय स्थिति बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा–3.1	रोकड़ वही का रख–रखाव ढ़ंग से नहीं करने बारे।	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–3.2	बैंक खातों के रख रखाव के बारे में।	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
4	पैरा–4.1	सावधि जमा राशियों पर बैंकों द्वारा राशि ₹0.05 लाख का कम ब्याज दिए जाने बारे।	अनिर्णीत

5	पैरा–4.2	निवेश रजिस्टर न लगाने बारे।	निर्णीत (निवेश रजिस्टर देख लिया गया है)
6	पैरा–5.1	अवधि 3/07 से पूर्व मे प्राप्त अनुदान राशि ₹16.08 लाख व्यय हेतु शेष	अनिर्णीत
7	पैरा–5.1	वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों बारे।	अनिर्णीत
8	पैरा–5.2.1	अनुदान राशियों 198.26 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना।	अनिर्णीत
9	पैरा–5.2.2	शेष राशि ₹6.22 लाख को सम्बन्धित विभागों को वापिस न लौटाने बारे।	अनिर्णीत
10	पैरा–5.2.3	अनुदान राशियों में 33.02 लाख का उपयोग न करने बारे।	अनिर्णीत
11	पैरा–6.1	अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय बारे।	अनिर्णीत
12	पैरा–6.2	दिनांक 31.3.2011 तक 41.70 लाख की वसूली करना शेष	निर्णीत (पैरा अपडेटिड)
13	पैरा–6.3	गृहकर की नई निर्धारण सूची तैयार न करना।	निर्णीत (पैरा अपडेटिड)
14	पैरा–6.4	गृहकर की बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज न लगाने से 3.17 लाख की हानि।	अनिर्णीत
15	पैरा–6.5	निर्धारित दरो पर गृहकर की मांग न करने के कारण राशि 3.55 लाख की वित्तीय हानि।	अनिर्णीत
16	पैरा–6.6	दुकानदारो/प्लाट धारकों/कमरें एवं भवन धारकों के साथ अनुबन्ध न करने बारे।	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
17	पैरा–6.7	टरेड टैक्स की वसूली न करने के कारण राशि ₹1.18 लाख की हानि बारे।	अनिर्णीत
18	पैरा–6.8	तहबाजारी की राशि 0.19 लाख की कम प्राप्ति।	अनिर्णीत (पूर्व में अनुभाग अधिकारी द्वारा निर्णीत)

19	पैरा–6.9	सैनिटेशन डोनेशन के रूप मे ंराशि .22 लाख की कम प्राप्ति	अनिर्णीत
20	पैरा–7	बजट प्रावधान से राशि 38.01 लाख का अधिक व्यय करने बारे।	अनिर्णीत
21	पैरा–7.2	श्री प्रदीप कुमार बेलदार को स्वीकृत दैनिक दरों से अधिक दरों के भुगतान करने पर राशि ₹0.41 लाख की वसूली।	निर्णीत (₹34000/– की वसूली वेतन बिलों से की गई एवं ₹6956 की वसूली जी–8 संख्या 8/485 दिनाँक 21.5.15 द्वारा की)
22	पैरा–7.3	श्री तिलक राज बेलदार को चालक के पद पर पदोन्नत करने के कारण ₹0.65 लाख की वित्तीय हानि बारे।	अनिर्णीत
23	पैरा–7.4	गलत वेतन निर्धारण बारे।	आंशिक निर्णीत (₹11280/– की वसूली वेतन बिलों से की गई)
24	पैरा–7.5	स्थापना पर निर्धारित माप दण्डों से अधिक व्यय करने के कारण ₹78.71 लाख का अनियमित व्यय।	अनिर्णीत
25	पैरा–7.6	बिना पदों की स्वीकृति के दैनिक वेतन भोगियों को नियुक्त करना।	अनिर्णीत
26	पैरा–8	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना सफाई कार्य हेतु मजदूरों को रखने से राशि ₹0.39 लाख का अनियमित भुगतान बारे।	अनिर्णीत

27	पैरा–8.1	पटवारी हल्का कांगड़ा को मानदेय के रूप में राशि ₹0.12 लाख का अनियमित भुगतान।	अनिर्णीत
28	पैरा–8.2	मोबाईल चार्जिज के रूप में ₹5600/– के अनियमित भुगतान बारे।	अनिर्णीत
29	पैरा–8.3	बिना जी0आर0 के ₹735/– के भुगतान बारे।	अनिर्णीत
30	पैरा–8.4	लाइसैन्स फीस राशि ₹228/– की वेतन बिलों से कटौती न करना।	निर्णीत (₹228 की वसूली रसीद संख्या 11/485 दिनांक 21.5.15 द्वारा की गई)
31	पैरा–8.5	डीजल हेतु ₹338/– के भुगतान बारे।	निर्णीत (₹338 की वसूली वेतन बिल से की गई)
32	पैरा–8.6	निर्धारित तिथि के उपरान्त समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन पर ₹5677/– का अनियमित अनुपयोगी भुगतान।	अंशतः निर्णीत
33	पैरा–9	विभागीय मजदूरों को बिना कार्य करवाये राशि ₹19.64 लाख का अनुचित भुगतान।	अनिर्णीत
34	पैरा–9.1	स्टॉक से सीमेन्ट को जारी करने बारे।	अनिर्णीत
35	पैरा–9.2	सीमेन्ट/स्टील की आपूर्ति विभागीय तौर पर न करना।	अनिर्णीत
36	पैरा–9.3	संविदाकार के बिलों से जल प्रभार की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.77 लाख की हानि बारे।	अनिर्णीत
37	पैरा–9.4	दरों की जस्टीफिकेशन तैयार किए बिना कार्यो का आंबटन	अनिर्णीत
38	पैरा–9.5	बिना तकनीकी स्वीकृति के राशि ₹16.39 लाख के निर्माण कार्यो को आंबटित करना।	अनिर्णीत

39	पैरा–9.6	तकनीकी स्वीकृति कर राशि से 8.79 लाख से अधिक के लिए कार्य का आंबटन।	अनिर्णीत
40	पैरा–9.7 (9.7.1 से 9.7.7)	गलत गणना के कारण विभिन्न ठेकेदारों को राशि ₹50340/– का अधिक भुगतान करना।	
41	पैरा–9.8 (9.9., 9.9.1)	राशि ₹4.82 लाख के अतिरिक्त कार्य हेतु संशोधित प्राकलन तैयार न करना।	अनिर्णीत
42	पैरा–9.10	खोखो के निर्माण में अनियमिताऐं।	अनिर्णीत
43	पैरा–9.11	अभिलेख उपलब्ध न करवाने बारे।	अनिर्णीत
44	पैरा–10	सामान्य भविष्य निधि एवं उपदान/पैन्शन/अंशदायी पैन्शन।	अनिर्णीत
45	पैरा–10.1	अंशदायी पैन्शन निधि का सामान्य भविष्य निधि खाता से अलग करने बारे।	अनिर्णीत
46	पैरा–10.2	न0प0 द्वारा श्रीमती सरोज बाला के अंशदायी पैन्शन निधि में .23 लाख की राशि का अंशदान न करने बारे।	अनिर्णीत
47	पैरा–10.3	मंहगाई भत्ता/अन्तरिम राहत की बकाया राशि को अशंदायी पैन्शन निधि में जमा करने बारे।	अनिर्णीत
48	पैरा–10.5	बजट में अनुमानित आय का 1 प्रतिशत बराबर शेयर पैन्शन/उपदान कोष में हस्तांतरित न करना।	अनिर्णीत
49	पैरा–10.6	दिनांक 1.1.06 के बाद सेवा निवृत कर्मचारियों की पैन्शन में संशोधन करने बारे।	अनिर्णीत
50	पैरा–11	गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण न करवाने के कारण राशि ₹0.31 लाख की वित्तीय हानि।	अनिर्णीत
51	पैरा–11.1	गाड़ी नम्बर एच0पी09–40–8015 की उपयोगिता बारे।	अनिर्णीत

52	पैरा–11.2	बिना पूर्व स्वीकृति के वाहन को राज्य के बाहर ले जाने बारे।	अनिर्णीत
53	पैरा–11.3	जे0वी0टी0 की परीक्षा हेतु वाहन नम्बर एच0पी0–40 वी 0103 का प्रयोग करने बारे।	अनिर्णीत
54	पैरा–12	प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे।	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
55	पैरा–12.1	स्थाई वस्तुओं का अन्तशेष शून्य दर्शाने बारे।	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
56	पैरा–13	अग्रिम राशि ₹0.26 लाख का समायोजन शेष।	निर्णीत (पैरा अपडेटिड)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा–2	अंकेक्षण शुल्क ₹2400 बारे।	निर्णीत (₹2400 बैंक ड्राफ्ट संख्या 727493 (के0सी0सी0बी0) दिनाँक 6.12.13 द्वारा जमा किये गये)
2	पैरा–3	वित्तीय स्थिति बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा–4	निवेश	निर्णीत (पेरा अपडैटिड)
4	पैरा–5	रोकड़ बही का रख रखाव सही ढ़ंग से न करना।	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
5	पैरा–6	बैंक खातों के रख रखाव बारे।	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
6	पैरा–7	पूर्व में प्राप्त अनुदान राशि ₹8617291/– के व्यय बरे	अनिर्णीत
7	पैरा–8	वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान बारे	अनिर्णीत

8	पैरा–9	दिनाँक 31.3.2013 तक ₹5629901/– की राशि वसूली हेतु शेष	निर्णीत (पेरा अपडैटिड)
9	पैरा–10	गृहकर की बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज न लगाने से 3.99 लाख की हानि	अनिर्णीत
10	पैरा–11	वर्षवार गृहकर की वसूली न करना	अनिर्णीत
11	पैरा–12	₹480 को जमा न करना	निर्णीत (₹480 रसीद संख्या 10/485 दिनांक 21.5.15 द्वारा जमा किये गये)
12	पैरा–13	कार पार्किंग ठेकेदार से जुर्माना राशि ₹1200 की वसूली न करना	निर्णीत (₹1200 रसीद संख्या 28/403 दिनांक 21.3.14 द्वारा जमा किये गये)
13	पैरा–14	रैन बसेरा के माह 3/13 से सम्बन्धित किराये की वसूली न करना	अनिर्णीत
14	पैरा–15	₹129166/– का अनियमित व्यय	अनिर्णीत
15	पैरा–16	₹28633/– के अनुचित भुगतान बारे	निर्णीत (₹28633 रसीद संख्या 19/485 दिनांक 22.5.15 द्वारा जमा किए गए)
16	पैरा–17	संशोधित प्राकलन एवं अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करना	अनिर्णीत
17	पैरा–18	ठेकेदारों को कम दरों पर सीमेन्ट जारी करने के कारण ₹1210 की हानि बारे।	अनिर्णीत
18	पैरा–19	निर्माण कार्य पर ₹230743 का अपव्यय	अनिर्णीत

19	पैरा–20	जलप्रभार ₹18787 की कटौती न करना	अनिर्णीत
20	पैरा–21	गाडियों की औसत तेल खपत का निर्धारण न करना	अनिर्णीत
21	पैरा–22	बिना पूर्व स्वीकृति के वाहन को राज्य से बाहर ले जाना	अनिर्णीत
22	पैरा–23	गाड़ी नम्बर एच0पी0–40–8015 की उपयोगिता बारे	अनिर्णीत
23	पैरा–24	लॉग बुक में यात्राओं के उद्देश्य का उल्लेख न करना	अनिर्णीत
24	पैरा–25	श्री तिलक राज (बेलदार) को चालक के पद पर पदोन्नत करने के कारण ₹35064/– अनियमित वयय	अनिर्णीत
25	पैरा–26	बिना औपचारिकताऐं पूर्ण किए ₹47274/– का व्यय	अनिर्णीत
26	पैरा–27	सामान्य भविष्य निधि व अन्तिम राशि ₹15000 की दण्ड ब्याज सहित वसूली न करना	अनिर्णीत
27	पैरा–28	स्टॉक रजिस्टर में 7 नं0 सी0एफ0एल0 85 वॉट बल्ब कम दर्शाना	निर्णीत (स्टॉक रजिस्टर संख्या 2 पृष्ठ 20 पर दर्ज है)
28	पैरा–29	प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)

लघु आपत्तियॉ

क्र0 स0	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि	आपत्ति संख्या	आपत्ति की स्थिति
1	4/62 से 3/64	2 से 4	अनिर्णीत
2	4/64 से 3/66	1 से 20	अनिर्णीत
3	4/66 से 3/68	1 से 18	अनिर्णीत

4	4/68 से 3/71	1 से 21	अनिर्णीत
5	4/71 से 9/74	1 से 54	अनिर्णीत
6	10/74 से 3/77	1	अनिर्णीत
		3 से 6	अनिर्णीत
		9 से 16	अनिर्णीत
		18 से 21	अनिर्णीत
		23 से 37	अनिर्णीत
		39 से 43	अनिर्णीत
7	4/77 से 3/78	1,3,4,10,11	अनिर्णीत
		13 से 16	अनिर्णीत
		18 से 21	अनिर्णीत
		23 से 25	अनिर्णीत
8	4/88 से 3/90	1 से 6	अनिर्णीत
9	4/96 से 3/2007	1 से 4	अनिर्णीत
		6	अनिर्णीत
		8 से 14	अनिर्णीत
		16 से 17	अनिर्णीत
		19 से 35	अनिर्णीत
		40 से 49	अनिर्णीत
		51 से 58	अनिर्णीत